न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–63/2025

1. राजा राम पुत्र खेता राम जाति जाट निवासी चाईया हाल वार्ड नं. 23 दूधवाल हनुमानगगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार रावतसर।

— रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थितः– श्री भागीरथ एडवोकेट अपीलांट।

निर्णय दिनांकः–15.04.2026

अपीलांट राजा राम पुत्र खेता राम जाति जाट निवासी चाईया हाल वार्ड नं. 23 दूधवाल हनुमानगगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ द्वारा इन्तकाल सं. 69 दिनांक 07.07.97 चक 9 बी पी एस के पं.नं. 197/408 मु.नं. 31 कि.नं. 14 ता 17, प.नं. 198/408 मु.नं. 32 कि.नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20, 24, पं.नं. 199/406 मु.नं. 17 कि.नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21, पं.नं. 199/407 मु.न. 20 कि.नं. 1, 9 ता 12, 19, 20, 21/2, 22/2, कुल किता 26 जो वर्तमान में 6.0220 है, भूमि का तहसीलदार रावतसर द्वारा दौराने दावा इन्तकाल दर्ज किया है को अपास्त किया जाकर दिनांक 03.06.1997 की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल करने बाबत अपील पेष की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट के पिता श्री खेताराम के नाम से विवादित भूमि चक 9 बी पी एम के प.नं. 197/408 मु.नं. 31 कि.नं. 14 ता 17,प.नं. 198/408 मु.नं. 32 कि.नं. 16/1, 16/2, 17 ता 20, 24, प.नं. 199/406 मु.नं. 17 कि.नं. 1/1, 1/2, 10, 11, 20, 21, प.नं. 199/407 मु.नं. 20 कि.नं. 1, 9 ता 12, [illegible] 21/2, 22/2, कुल किता 26 भूमि आंवटित हुई थी जिस पर शुरू से ही अपीलान्ट के पिता का कब्जा रहा व अपीलान्ट के पिता के खेताराम के फौत होने के पश्चात से [illegible] अपीलान्ट की माता नो[illegible] ओमप्रकाश, प्रेमकुमार पि. खेताराम, विमला पुत्री खेताराम जाति जाट सा. रावतसर का कब्जा चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

आ रहा है, वर्तमान में माता नोरा व भाई प्रेम कुमार (अविवाहित फौत) का स्वर्गवास हो चुका है।

2. उक्त वर्णित आराजी के संबंध में एक फर्जी तथा कथित इकरारनामा दिनांकित 18.07.1978 को लेखराम नामक व्यक्ति द्वारा अपने पक्ष में तैयार करवा लिया व इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर लेखराम ने अपीलान्ट के पिता को अथवा अपीलान्ट व अन्य वारिसों को बिना सूचित किये साजबाज कर ए.डी. एम. हनुमानगढ से दिनांक 01.02.1993 को उक्त आराजी नियमन अपने नाम से करवाकर बतौर खातेदार नामांतरण दर्ज राजस्व रिकार्ड में करवा लिया था। इस दौरान अपीलान्ट के पिता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अपीलान्ट को इस बात का पता चलने पर अपीलान्ट के पिता खेताराम के अन्य विधिक वारिसों द्वारा उक्त नियमन आदेश दिनांक 01.02.1993 को पुर्नविलोकन याचिका बअनवान नोरा वगैरह बनाम स्टेट प्रस्तुत की गयी, जो 22/1994 प्रकरण पर दर्ज हुई, जिसमें बाद सुनवाई उभय पक्षकारान हनुमानगढ एडीएम द्वारा 20.09.1994 को आदेश करते हुए लेखराम के नाम से जारी नियमन आदेश दिनांक 01.02.1993 को निरस्त कर दिया। जिस बाद उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना था, परन्तु अन्य कार्यवाहिया विचाराधीन होने के कारण अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान के नाम से इन्तकाल दर्ज हो न सका।

3. लेखराम द्वारा अपीलान्ट को हैरान परेशान करने की नीयत से एक अन्य वाद एसडीओ नोहर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट का पेश किया, जो लेखराम बनाम ओमप्रकाश आदि प्रकरण सं. 131/95 दर्ज हुआ । उक्त प्रकरण के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया और इकतरफा स्थगन प्राप्त कर लिया ताकि अपीलान्ट व अन्य वारिसान के नाम से इन्तकाल दर्ज न हा सके। उक्त प्रकरण बाद सुनवायी दिनांक 31.05.97 को एस डी ओ नोहर द्वारा खारिज फरमाया जा चुका है। उक्त वाद के खारिज होने के उपरान्त तहसीलदार रावतसर द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान के नाम से दिनांक 03.06.97 को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया। प्रति इन्तकाल संलग्न है।

4. माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ द्वारा नोरा वगैरा बनाम स्टेट प्रकरण सं. 22/94 में नियमन निरस्त करने के आदेश को चुनौती लेखराम द्वारा अपीलीय न्यायालय में दी गई जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा नोहर एडीएम को पुनः सुनने का आदेश दिया, जिस बाद एडीएम हनुमानगढ द्वा[illegible] होने के कारण पत्रावली नोहर एडीएम अन्तरित कर दी, जिसमें बाद सुन[illegible] पारित किया। दौराने अपील लेखराम की मृत्यु होने पर उसके वा[illegible] राजस्व अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष बअनवान जयपाल आदि बनाम नत्थूराम आ[illegible] अपील संख्या 57/13 प्रस्तुत की, उक्त अपील दिनांक 26.06.2025 को खारिज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

5. अपीलान्ट व अन्य वारिसान को हैरान परेशान करने की नीयत से लेखराम द्वारा खारिजी स्थगन प्रार्थना पत्र की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ न्यायालय मे बअनवान लेखराम बनाम ओमप्रकाश वगैरा अपील सं. 45/97 प्रस्तुत की व साथ ही रावतसर एसडीओ के समक्ष वाद बअनवान लेखराम बनाम ओमप्रकाश आदि वाद सं. 131/95 को रेस्टोर करवाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया व राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील मे धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र इस आश्य से प्रस्तुत किया कि लेखराम बनाम ओमप्रकाश आदि वाद सं. 131/95 नोहर एस डी ओ साहब के समक्ष विचाराधीन है व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को मुगालते में रखकर धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र से दिनांक 02.06.1997 से राजस्व रिकार्ड की बहाली का आदेश करवा लिया। जिस आधार पर इन्तकाल सं. 69 दिनांक 07.07.01997 को लेखराम का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गया।

6. मूल वाद सं. 131/95 बअनवान लेखराम बनाम ओमप्रकाश दिनांक 27.03.2001 खारिज हो चुका है तथा जिसके अपील की मियाद भी पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे इन्तकाल सं. 69 लेखराम के नाम से दर्ज रहने से अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट उक्त विधि विरूद्ध उक्त इन्तकाल आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न निवेदन करता है–

(क) प्रश्नगत इन्तकाल विधिविरूद्ध दर्ज किया गया है, जो काबिल खारिजी के है।

(ख) राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा केवल धारा– 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के पर आदेश पर राजस्व रिकार्ड की दिनांक 02.06.1997 की स्थिति बहाल करने का आदेश फरमाया गया था। जिस आधार पर लेखराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल सं.69 दर्ज हुआ। परन्तु उक्त अपील, स्थगन प्रार्थना पत्र लेखराम बनाम ओमप्रकाश प्रकरण सं– 71/95 के सबंध मे हुई थी व इसी से सबंधित मूल वाद लेखराम बनाम ओमप्रकाश आदि प्रस. 131/95 ही खारिज हो चुका है, तो उक्त अपील स्वयमेव ही खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे लेखराम नाम से इन्तकाल दर्ज होने से अपीलान्ट के हको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) मूल वाद ही खारिज हो चुके है परन्तु लेखराम के नाम से इन्तकाल दर्ज रहने से अपीलान्ट के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति मे इन्तकाल खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:29 IST
Reason: SelfAttested

(घ) प्रश्नगत कृषिभूमि अपीलान्ट [illegible] की [illegible]शुदा आराजी थी। जिसे तथाकथित रूप से लेखराम द्वारा हड़पने की नीयत से झूठे तथ्यो के आधार पर वाद आदि प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाहिया की गया, जो वर्तमान मे लम्बित नही है। जिस कारण इन्तकाल सं. 69 लेखराम के नाम से दर्ज होने से अपीलान्ट व अन्य विधिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

वारिसान के हको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत कृषिभूमि की दिनांक 07.07.97 के पूर्व की स्थिति बहाल की जानी योग्य है।

4. अपीलान्ट की माता नोरा देवी व भाई प्रेमकुमार (अविवाहित फौत) का स्वर्गवास हो चुका है।

5. तथाकथित लेखराम के वारिसान द्वारा नियमन को बहाल करवाने बाबत एक अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ मे बअनवानी जयपाल बनाम नत्थूराम आदि प्रस्तुत की । उक्त अपील दिनांक 26.06.2025 को राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा खारिज फरमायी जा चुकी है। अपीलान्ट दिनांक 11.09.2025 को अपने किसी कार्य से न्यायालय हनुमानगढ़ आया हुआ था तब अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को बताया कि उक्त अपील खारिज फरमायी जा चुकी है तब प्रार्थी को ज्ञान हुआ है। उक्त अपील के खारिज होने का पूर्व मे प्रार्थी को ज्ञान नही था । प्रार्थी ने उक्त आदेश की प्रति प्राप्त की और वकील साहब से सम्पर्क कर उक्त अपील प्रस्तुत की है। ज्ञान से अपील अन्दर मियाद है । अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी माफ किये जाने योग्य है। फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

7. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल सं. 69 दिनांक 07.07.1997 को निरस्त किया जाकर इससे पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

अपील पेष होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर के अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 07.07.1997 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से तलब मूल नामान्तरण का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 07.07.1997 माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 1464 दिनांक 04.07.1997 की पालना में तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा लगभग 28 वर्ष बाद अपील पेश की गई, जो कि म्याद बाहर है एवं विलंब में संलग्न प्रार्थना–पत्र दफा 5 म्याद अधिनियम में कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। न्यायालय के मत में नामान्तरण संख्या 69 दिनांक 07.07.1997 को में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:29 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:45:29 IST
Reason: SelfAttested